

राजस्थान सरकार
**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

क्रमांक: भूमि अवाप्ति/प्रतिकर/प्र0सं0/15/2020

दिनांक 26 फरवरी, 2020

:: अवाई ::

**अवाई अन्तर्गत धारा 3 G राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं
Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition Under NH Act,
1956**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छ: लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 22/08/2019 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 08/09/2019 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 06/12/2019 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 28/12/2019 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।

अवाप्ताधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के खाते में अंकित ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा की आराजी नं० 10511/7586 में से 0.0540 हेक्टर भू-भाग अवाप्त किया गया है।

तहसीलदार भीलवाड़ा से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा की आराजी नं० 10511/7586, किस्म बंजड, रकबा 0.07 बीघा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के स्वामित्व की होकर इस आराजी में से 0.0540 हेक्टर अर्थात् 540 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन है। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक भीलवाड़ा से प्राप्त की गयीं।

अतः तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त मौका सत्यापन रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की प्रति को आधार स्तम्भ लिया जाकर ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 10511/7586 में से 0.0540 हेक्टर अर्थात् 540 वर्गमीटर भूमि का प्रतिकर निर्धारण विपक्षी के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व ग्राम पुर, तहसील भीलवाड़ा की अवाप्ताधीन आराजी नम्बर 10511/7586 में से 0.0540 हेक्टर अर्थात् 540 वर्गमीटर भूमि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारित किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

हितबद्ध व्यक्ति / खातेदार का नाम	अवाप्त भूमि का विवरण			दिनांक 22.08.19 को DLC दर (प्रति बीघा)	PWD के अनुसार ग्राम पुर की शहरी सीमा से दूरी	कृषि भूमि / आबादी भू-खण्ड तथा निर्माण निर्माण स्थायी संरचना का मूल्य				सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 10 अंकित राशि का	दिनांक 08.09.19 से 26.02.2020 तक कुल 171 दिवस का ब्याज (12%से)	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (10+11+12)
	आ० नं०	रकबा (हेक्टर)	किस्म			प्रतिकर राशि	निर्धारित फेक्टर दूरी 0-10 किमी पर देय कारक 1.00 गुणा दर से राशि	स्थायी संरचना का मूल्य	योग (8+9)			
सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा	10511/7586	0.0540 हेक्टर अर्थात् 540 वर्गमीटर	बंजड	54,13,400- अर्थात् 2140.29 प्रति वर्गमीटर	शहरी क्षेत्र	11,55,756-	11,55,756-	Nil	11,55,756-	11,55,756-	64,975-	23,76,487-

क०सं०	विवरण	राशि
		23,76,487-

से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करे तथा अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे एवं भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द

सचिव नगर विकास न्यास द्वारा प्रतिकर राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जावेगा -

1. प्रतिकर राशि का व्यय जिला कलक्टर महोदय की पूर्व अनुमति पश्चात ही किया जा सकेगा।
2. प्रतिकर राशि के व्यय का पारदर्शिता एवं प्रभावी पर्यवेक्षण, सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा किया जावेगा।
3. प्रतिकर राशि का व्यय नगर विकास न्यास को राज्य सरकार से अनुमत योजनाओं के तहत विकास कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। अनुमत योजना से दीगर प्रतिकर राशि का व्यय नहीं किया जावेगा।
4. प्रतिकर राशि का व्यय नगर विकास न्यास द्वारा राजमार्ग में प्रभावित भूमि के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।
5. उक्त प्रतिकर राशि का व्यय निजी कार्यों में नहीं कर सकेंगे।
6. नगर विकास न्यास उक्त प्रतिकर राशि के बजट प्राप्ति की सूचना एवं व्यय राशि की सूचना राज्य/जिला स्तरीय विभाग को सूचित किया जावे।



(राकेश कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. **परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा** को पालनार्थ भेजकर निर्देश दिये जा रहे हैं कि अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराई जावे। हितबद्ध से भुगतान पत्रादि तैयार करवा पटवारी/तहसीलदार के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत कराए जावे। समय पर बजट/लिमिट जारी नहीं होने एवं भुगतान पत्रादि प्राप्त होने की स्थिति में उपलब्ध बजट में भुगतान कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
2. **तहसीलदार, भीलवाड़ा** को भेजकर लेख है कि हितबद्धधारी से सम्पर्क कर अवाई अनुसार प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु प्रदत्त निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्राप्त पत्रादि तैयार करवा अविलम्ब प्रस्तुत किए जावे। हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् से इस आशय का इकरार नामा/अण्डर टेकिंग प्राप्त किया जावे कि यदि किसी कारणवश मुआवजा राशि गलत भुगतान होने या अधिक भुगतान होने पर वह ऐसी राशि अविलम्ब इस न्यायालय में जमा करायेगा। ऐसा नहीं करने पर उक्त राशि उसकी चल-अचल सम्पत्ति में से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत वसूल की जा सकेगी। हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् से भूमि/भू-खण्ड तथा उस पर निर्मित निर्माण/कुआ/ट्यूबवेल/अन्य संरचनाओं का कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सिपुर्द किया जावे। अवाप्त भूमि का नामान्तरकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम पर इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद कर जमाबन्दी की एक प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जावे तथा एक प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक को भिजवाई जावे।
3. **हितबद्ध सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा** को भेजकर लेख है कि अवाप्त भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु संलग्न भुगतान प्रपत्र की पूर्ति करा आवश्यक दस्तावेजों के साथ पत्रादि पटवारी/तहसील के माध्यम से तत्काल प्रस्तुत करावे।

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
भीलवाड़ा
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा